

संख्या/ (८०) (२१) राज १८/७३

दिनांक ३१-१० सन् ७३

पूँकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर भूमि में प्रथवा उस पर सरकार के धोर प्राप्ति-व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुवर्ण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुवर्ण पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि शतप्रतिशत रक्षित वन कहलाया जावेगा।

शासक दिनांक १५-१०-७३
प्रकाशित

राज्यपाल की आज्ञा से,
S.D. ३५ शासन सचिव
राजस्थान (घ) विभाग
शासन सचिव, राजस्थान

अनुसूची

जिला	तहसील	क्षेत्री या वन खण्ड	भौगोलिक	क्षेत्रफल वन खण्ड या भौगोलिक एकड़ों में	विशेष विवरण
सवाई	धौलाल	उमरजला	जोगपुरा	५२०२-५२	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
		धौलाल	उमरजला	५२३०-८२	
		(८)	चरनामुण्डवाड़ी	४४४-४४	
			देवलिमा आवा	५६-००	
			हजारो की मुण्डवाड़ी	२-४२	
			मकनपुरा	४८६-४२	
			अमरपुरा	२०६-४४	
			जोगल	५६२-६८	
			रोहतासियाका	१-७८	
			लिमा	२०-१०	
			वडलिमा	१२३-७०	सत्य प्रतीतिपि क्षेत्रीय तह: अधिकारी बाटोले, जिला प. सवाई
			मकानकोर	५४७७-६४	
			देवलिमा	२४८-२८	
			देवलिमा राकड़ा	४६४-०६	
			मकान	७४४४-२०	

सचिवी प्रतिनिधि
१५/१०/७३
सचिवी प्रतिनिधि

मा. १२.४३ क. मा.
मा. ३२.५४ क. मा.

(23)

- $\frac{0}{A}$)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या 1(6) (41) राज-8/73

दिनांक 15 - 3 सन् 74

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार तद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	भोजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या भोजा एकड़ों में	विशेष विवरण
झालावाड़	धाटोल	कालिया नाडा	1-रनपुरा	2.98	धिया रैला मरिचाल्ट (अ) संलग्न है.
		माट-प	2-नालांमारा	108.00	
			3-रनपुरा	88.10	
			4-अमरपुरा	18.28	
				219.36	
				0.80	मोड़
			अमरपुरा	1.02	कि० मा०
TRUE-COPY				सहस्र प्रतिलिपि	
3.7.75				धिया रैला मरिचाल्ट	
राजस्थान वन अधिनियम (1953)				धाटोल, जिला झालावाड़	
अमरपुरा (राज०)					

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

दिनांक 25/5/78

दिनांक :- 1-6-76

वृत्ति इसके साथ सन 1953 में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम सं० 13) की धारा-29 का उप-धारा(3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा-29 की उपधारा(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-4 के अनुबन्ध पूर्वकित वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रचित वन क़ानून लागू होगा।

है

राज्यपाल की आज्ञा से,
उप शासन सचिव, राजस्व (अ) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	दौत्रीफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में।	वि० वि०
------	-------	-----------------	------	-------------------------------------	---------

बांसवाडा घाटोल	चित्तलिया मण्डला	जापुरा।	545-48 एकड़।	सीमा रेखा	
		डिण्डोरिया	194-58 ,,	विवरण परि-	
		कुण्डला।	140-80 ,,	शिष्ट (अ)	
				संग न है।	
योग:-			880 48 ,,		

राजस्थान राजस्व विभाग

दिनांक 25-5-78

महाराष्ट्र सरकार के

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

:: पंचाल ::

महाराष्ट्र



0. 666

(Form 5/A)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या 1(6) (41) 218 8/73

दिनांक 15.5.74 सं

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा वंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में कि 4.6.73

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन-भूमि और वंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

धनि

दे

सुरपुर

अनुसूची

नेरीपुरा

मुनाबा झरना

भीमकोर

नाडा

घाटोड

पट्टी या वन-खण्ड	मोजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मोजा एकड़ों में	विशेष विवरण
कडलिया	1- सुरपुर	५९.२४	सोमा रेखा परिशिष्ट (अ) संलग्न है.
नाडा घाट	2- नेरीपुरा	१३२.५०	
की	3- मुनाबा- झरना	१०३.५२	
	4- भीमकोर	२३५.५४	
	5- नाडा	१६६.७०	
	6- हडमतिमा	७०.७८	
	7- गगजी का खेडा	५५.००	
	8- डामर	१७.१४	
		८४४.७२	
		या १.३२ बर्ग मील,	
		या ३.४१ बर्ग कि० मी०,	

सहायक वन बन्धोवस्त अधिकारी
सुरपुर (राज.)